

3.	कार्यालय सहायक (तृतीय)/(द्वितीय) तथा समकक्ष	रु. 17,000/-
4.	कार्यालय अधीक्षक, संगणक, आशुतिपिक (वि०प्र०) तथा समकक्ष	रु० 28,000/-

3. उपरोक्त दरें इस प्रतिबन्धाधीन अनुमत्या की गयी है कि उपरोक्तानुसार देय धनराशि सम् कार्मिक की रोदानिवृत्ति की शिथि को; उसको देय वेतन (मूल वेतन+महगाई भत्ता) में से, उसको योग्य पेंशन घटाने के उपरान्त देय धनराशि से अधिक नहीं होगी।
4. उपरोक्त पुनरीक्षित दरें आदेश निर्गतन से तिथि से लागू मानी जायेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा

सं०- 1051 -(1) काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. अध्यक्ष, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, कन्नौज, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. आगर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पा०का०लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, बी-17, जे० रोड, महानगर, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पा०का०लि०, लखनऊ।
12. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
13. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 18.11.2014 को सम्पन्न 110(अ) /14 बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
15. अधिकारी अभियन्ता (वे०, कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
द्विवि.नि.लि. आगरा

संख्या-1777-प्र.नि.(काप्र.)अ.अ.1 संक्रि दि: 23.2.15 (बी०डी० पाण्डेय)

समस्त मुख्य अभि० निर०/जा०, आगरा असीगढ़ नंदा, अपर सचिव (प्रथम)
झांसी, कानपुर

समस्त अधीक्षक अभियन्ता- निर०/कार्यालय/मेरठ/जानकपुर/टी.टी./कार्म
समस्त-अधीक्षक अभियन्ता- निर०/कार्यालय/जानकपुर/कार्म/कार्यालय/टी.टी./कार्म

नहे रम,
दा. कार्यालय के उपरोक्त सं. सं. सं. 1051-काविनी एवं वे० प्र०-29-पा.का.लि
2014-7 काविनी/89 दि. 23.11.14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
अधिकांश विषय आपके का. मुझे निदेश हुआ है।

(श्री. एस. गणेश्वर)
अधीक्षक अभि. (आर०) मुझे प्रबन्ध निर०